

आदेश की क्रम सं० और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1

2

न्यायालय, समाहत्ता, मधुबनी

सी०सी०ए० वाद, संख्या-109/2021-22

बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत

सरकार

बनाम

मो० गणपूर

पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के पत्रांक 3869/सी.आर दिनांक-04.10.2021, द्वारा अपराधकर्मी मो० गणपूर, पिता-- हबीबुल्लाह, सा०-कपसिया, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी के विरुद्ध बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तुत वाद का सृजन करते हुए अपराधकर्मी को धारा-3(1) के तहत अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक-11.10.2021 को नोटिस जारी किया गया। जिसके आलोक में प्रतिवादी दिनांक-21.10.2021 को अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। अधिवक्ता द्वारा बिना साक्ष्य का कारण-पृच्छा समर्पित किया गया है। इसके आलोक में निर्धारित तिथि यथा 21.10.2021 को इनके वादों पर सुनवाई की गई।

अपराधकर्मी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान तर्क दिया गया है कि इनके पक्षकार एक गरीब व लाचार व्यक्ति है जिसे कानून में पूर्ण आस्था है। इनके पक्षकार को संदेह के आधार पर उनको फँसाने का प्रयास किया गया है जबकि इनके विरुद्ध कभी भी पूर्व में चुनाव प्रभावित करने का कोई आरोप नहीं है। इनके पक्षकार अत्यंत गरीब मजदूर है जो मजदूरी करके अपने बच्चों तथा वृद्ध माता का भरण पोषण कर रहा है। इनके पक्षकार को जमीनी विवाद को लेकर पूर्व में झूठा मुकदमा फँसाया गया है जबकि वह निर्दोष है। इनके पक्षकार के विरुद्ध शराब तस्करी या चुनाव में हिंसा फैलाने का कोई आरोप नहीं है न ही किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। अरेर थाना काण्ड सं०-134/19, 133/17, 84/19 एवं अरेर थाना सनहा सं०-443/21 दिनांक 24.09.2021 दर्ज है। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके पक्षकार को इस वाद से विमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

सरकार के तरफ से विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा बताया गया कि प्रतिपक्षी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य एवं कागजात माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ताकि ये बात साबित हो सके कि ये अब आपराधिक कार्य में लिप्त नहीं हैं।

यदि पुलिस अधीक्षक, मधुबनी के द्वारा समर्पित प्रस्ताव एवं उसके साथ संलग्न कागजातों की चर्चा की जाए तो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा अंकित किया गया है कि "असमाजिक तत्वों/ अपराधकर्मी मो० गणपूर एक शराब तस्कार है तथा कई काण्ड में आरोप-पत्रित है तथा कई बार जेल जा चुके हैं। वर्तमान में न्यायालय से जमानत पर मुक्त है। अगामी ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर विधि-व्यवस्था नियंत्रण हेतु आसूचना संकलन के क्रम में जांचकारी मिली है कि उक्त अपराधकर्मी का गति-विधि संदिग्ध है एवं अन्य अपराधी एवं सफ़ेदपोश लोगों से इनका अच्छा संबंध है। ये ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के अवसर पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। इससे जनमानस में भय व्याप्त है तथा इनके लोक शांति भंग किये जाने की प्रबल संभावना

21-10-2021

जनमानस में भय व्याप्त है तथा इनके लोक शांति भंग किये जाने की प्रबल संभावना है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपट्टी के द्वारा निम्नांकित कांडों को इनके बदर करने का आधार बतलाया गया है -

01. अरेर थाना काण्ड संख्या-134/19 दिनांक 28.12.19 धारा 395 भा0द0वि0

02. अरेर थाना काण्ड संख्या-133/17 दिनांक 07.10.17 धारा 290 भा0द0वि0 एवं 37(सी) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016

03. अरेर थाना काण्ड संख्या-84/19 दिनांक 14.08.19 धारा 30(बी)(सी)बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016

04. अरेर थाना सनहा संख्या- 443/21 दिनांक 24.09.21

इस प्रकार से उपरोक्त के आधार पर मधुबनी जिला में अमन, चैन, शांति व्यवस्था एवं जन सामान्य की सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने हेतु उक्त अपराधकर्मी के विरुद्ध धारा-3 के तहत आदेश पारित करने की अनुशंसा की गई है।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बेनीपट्टी के द्वारा समर्पित कागजातों की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपराधकर्मी के विरुद्ध चार मामले दर्ज है। अरेर थाना काण्ड सं0-134/19, 133/17, 84/19 एवं अरेर थाना सनहा सं0-443/21 दिनांक 24.09.2021 है। बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 02(डी0) के तहत उद्धरित "Anti Social element" की परिभाषा एवं भारतीय दंड विधान के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अन्तर्गत परिभाषित हैं। अपराधकर्मी द्वारा अपने बचाव में कोई संगत साक्ष्य अथवा कागजात दाखिल नहीं किया गया है। जिससे प्रमाणित हो सके कि ये वर्तमान में स्वच्छ आचरण का जीवन व्यतीत कर रहे हो।

इस प्रकार से प्राप्त प्रस्ताव एवं अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के आधार पर प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये "असामाजिक तत्व" हैं तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य से समाज पर दुःप्रभाव पड़ेगा। ऐसे तथ्य उपलब्ध हैं जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त हैं या हो सकते हैं, भा.द.वि. 1861 के Chapter XVII एवं Chapter XVI के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर अपराधकर्मी मो0 गफफूर, पिता- हबीबुल्लाह, सा0-कपसिया, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1981 की धारा-3, उपधारा-3 के अंतर्गत मधुबनी जिला में आसन्न पंचायत चुनाव 2021 को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने की प्रक्रिया पूर्ण (पंचायत चुनाव के अंतिम चरण) होने तक के लिए जिला-मधुबनी को थाना बदर किया जाता है। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे आदेश प्राप्ति की तिथि से पण्डौल थाना में प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित होकर 10:00 बजे पूर्वा० से 11:00 बजे पूर्वा० तथा संध्या 05:00 बजे से 06:00 बजे के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दिनांक 12.12.2021 को अपने मत का प्रयोग करने की स्थिति में संबंधित थानाध्यक्ष को, मतदान केन्द्र पर पहुंचने हेतु यात्रा रूट, चलने का समय एवं वापसी का समय

अंकित कर पूर्ण ब्योरा समर्पित करना होगा, तदुपरांत थानाध्यक्ष से अनुमति प्राप्त कर ही मतदान केन्द्र हेतु प्रस्थान करेंगे। थानाध्यक्ष, पण्डौल निदेश दिया जाता है कि वे थाना में इसके लिए एक अलग से उपस्थिति पंजी संघारित करेंगे एवं उसमें अपराधकर्मी मो० गफफूर, पिता- हबीबुल्लाह, सा०-कपसिया, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी का नाम अंकित कर प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। इसका साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को निरन्तर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति अपराधकर्मी मो० गफफूर, पिता- हबीबुल्लाह, सा०-कपसिया, थाना-अरेर, जिला-मधुबनी को तामिला कराने हेतु इसकी एक प्रति थानाध्यक्ष, अरेर थाना को भेजे। साथ ही इस आदेश की प्रति थानाध्यक्ष, पण्डौल थाना को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को भेजे, उनसे अनुरोध होगा कि इस आदेश से अपने अधिनस्थ सभी थानाध्यक्ष को अवगत करा देंगे।

इस आदेश की प्रति जिला सूचना एवं जन-सम्पर्क, मधुबनी को भी आम जनता में प्रचार-प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति मधुबनी जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ हेतु आई.टी. मैनेजर को भेजे।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

जिला दण्डाधिकारी,
मधुबनी

- ज्ञांपाक सं० 1166 / जि० वि० न्या० मधुबनी दिनांक 28/10/21
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, अरेर को दो आदेश की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। एक प्रति अपराधकर्मी को तामिला करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, पण्डौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा,
मधुबनी।